प्रादेशिक समाचार बुलेटिन,
आकाशवाणी, लखनऊ।

प्रसारण तिथि : 12.06.2024 प्रसारण समय : 19:20 बजे

मुख्य समाचार :–

1. **18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू : राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को करेंगी सम्बोधित।**
2. **प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में की बैठक : कहा– 15 जून से 21 जून तक हर जनपद में किया जाये योग सप्ताह का आयोजन।**
3. **मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले चार दिनों के लिये लू को लेकर जारी किया रेड अलर्ट : कई जनपदों में अधिकतम तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर।**

और

4. **हरदोई में बालू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर झोपड़ी पर पलटा : हादसे में चार बच्चों समेत एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल।**

———————

अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जायेगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगी और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। जबकि

राज्यसभा का सत्र भी इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी है।

श्री रिजिजू ने कहा कि जनता निर्णय ले चुकी है और अब देश की सेवा के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने कहा कि एक सौ चालीस करोड भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और चर्चा के लिए संसद एक आदर्श मंच है।

———————

प्रदेश में 15 जून से 21 जून तक हर जनपद में योग सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में आज लखनऊ में बैठक का संबोधित करते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यह निर्देश दिया है। श्री मिश्र ने कहा कि जनमानस को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से योग सप्ताह का आयोजन सभी जनपद मुख्यालय के अतिरिक्त तहसीलों, ब्लाकों और ग्राम पंचायतों में भी किया जाये। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के आयोजन में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यक्रमों के आयोजन में पुलिस द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही कार्यक्रम से पहले सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में योग ब्रेक

प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जाये। साथ ही योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

——————————

प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है। लखनऊ में आज रिक्तियां और विभागीय बजट की समीक्षा के दौरान पशुधन मंत्री ने यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग में पदोन्नति के लंबित पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नति की जाएं। पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 तथा पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद रिक्त हैं। उन्होंने विभागीय बजट की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि यथा शीघ्र जारी की जाए और लक्ष्य बनाकर बजट का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।

——————————

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 निर्वाचित सदस्यों को 14 जून को शपथ दिलाई जाएगी। इन सदस्यों को विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शाम 4 बजे, नवीन भवन के तिलक हॉल में शपथ दिलाएंगे। विधान परिषद की य सीटें मई में खाली हुई थीं। शपथ लेने वाले सदस्यों मं

एनडीए गठबंधन के 10 सदस्य और समाजवादी पार्टी के 3 सदस्य शामिल होंगे

———————————

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नोट 2024 परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब जारी किये हैं। इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए नीट परिणामों में कथित विसंगतियों को देखते हुए यह प्रश्नावली जारी की गई है। परीक्षार्थियों को समय की हानि के लिए कृपांक देने में शिकायत निवारण समिति की भूमिका पर, एजेंसी ने कहा कि एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों पर विचार किया। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में एजेंसी ने स्पष्ट किया कि कृपांकों के कारण, दो परीक्षार्थियों को 718 और 719 अंक प्राप्त हुए। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एक हजार 563 परीक्षार्थियों को उनके समय की हानि की भरपाई के लिए कोई कृपांक नहीं दिए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में एक हजार 563 परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय पैनल का गठन किया था।

———————————

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज लखनऊ में प्रेस कांफ्रेस कर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिले जनसमर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए । साथ ही नीट परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी पर केंद्र सरकार से पुनः परीक्षा कराने की मांग की।

—————————

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट जी0ओ0वी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है।

—————————

प्रदेश म भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। अधिकांश जनपदों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47 दशमलव एक डिग्री सेल्सियस

प्रयागराज में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिये प्रदेश में भीषण लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लखनऊ मौसम केन्द्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अधिकतम तापमान में अब और बढ़ोत्तरी नहीं होगी, लेकिन लू का असर बना रहेगा।

बाइट........

पिछले दो तीन दिनों से तापमान काफी ज्यादा है और जैसा कि प्रयागराज पूरे भारत में सबसे ज्यादा तापमान है आने वाले तीन चार दिनों तक तापमान इसी लेवल पर बना रहेगा और प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है जिसमें हमारा जो निचले इस्से है जो बुंदेलखंड है, आगरा, प्रयागराज वो जो रीजन है वहाँ पर रेड अलर्ट है। बाकी और जगहों में कुछ जगहों पर यलों और ऑरेंज अलर्ट भी है। लखनऊ राजधानी में ऑरेज अलर्ट है। अगले तीन दिनों के लिये पश्चिमी हवाएं जिसको हम लोग पछुआ हवाएं बोलते हैं वह हवा लगातार बनी हुई है, जोकि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, जिसकी वजह से जो रात का भी तापमान है वह उतने इजली गिरने नहीं दे रहा है।

———————————

प्रदेश में मंगलवार देर रात हुए दो अलग—अलग हादसों में छह बच्चियों समेत दस लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गये। हरदोई जिले में एक भीषण हादसे में एक बालू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर झोपड़ी पर पलट गया, जिससे एक ही परिवार के चार बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा जिले के मल्लावां

इलाके में मंगलवार देर रात हुआ। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक और हेल्पर को हिरासत में ले लिया है। जिस झोपड़ी पर ट्रक पलटा, वह झोपड़ी न समुदाय के सदस्यों की थी, जिन्होंने सड़क के किनारे अस्थायी घर बना रखे थे। उधर, गोरखपुर में मंगलवार रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग से दो बच्चियों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग बुरी तरह झुलस गये। घायलों को गंभीर स्थिति में बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है, जिनमें चार की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनाओं पर दुख जताया है और अधिकारियों से पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने को कहा है।

————————

देश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। इसके तहत किशोर न्याय बोर्ड का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा 20 कहती है कि सात साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार सात साल से अधिक उम्र और बारह साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जिसने उस अवसर पर अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों का आंकलन करने के लिये पर्याप्त समझ की परिपक्वता प्राप्त नहीं की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा–संहिता 2023 में सीआरपीसी की धारा 27 को हटा

दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 300 कहती है कि प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लागू नहीं होते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401 अच्छे आचरण के लिय चेतावनी के बाद परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश की बात करती है और यह भी कि किशोर न्याय अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 402 में उल्लेख है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक युवा अपराधी से निपटने के लिये न्यायालय द्वारा विशेष कारण दर्ज किये जाने हैं।

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, ऐसे बच्चे को विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाना चाहिये, जो बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये बाध्य है। बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाना चाहिये या जेल में बंद नहीं किया जाना चाहिये। इसके अलावा ऐसे बच्चे को, चाहे उसने जमानती या गैर–जमानती अपराध किया हो, जमानत के साथ या उसके बिना स्योरिटी पर रिहा किया जाना चाहिये। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता हैं, लेकिन उस स्थिति में

उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने लाये जाने तक निर्धारित तरीके से अवलोकन गृह में रखा जाना चाहिये।

(समाप्त)